न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर
पीठासीन अधिकारी :– प्रदीप सिंह सांगावत, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 03/2022 (बांसवाड़ा आर्डर)

1. प्रदीपसिंह पिता श्री मोतीसिंह, जाति राजपूत, निवासी ग्राम रामगढ़, तहसील कुशलगढ़, जिला बांसवाड़ा (राज.)
2. समरसिंह पिता श्री जयदीपसिंह, जाति राजपूत, निवासी ग्राम रामगढ़, तहसील कुशलगढ़, जिला बांसवाड़ा (राज.)

.... अपीलान्टगण

बनाम

1. पराक्रमसिंह पिता श्री उंकारसिंह, जाति राजपूत, निवासी थांदला रोड़ कुशलगढ़, तहसील कुशलगढ़, जिला बांसवाड़ा (राज.)
2. रघुवीरसिंह पिता श्री उंकारसिंह, जाति राजपूत, निवासी ग्राम रामगढ़, तहसील कुशलगढ़, जिला बांसवाड़ा (राज.)
3. प्रहलादसिंह पिता श्री उंकारसिंह, जाति राजपूत, निवासी ग्राम रामगढ़, तहसील कुशलगढ़, जिला बांसवाड़ा (राज.)
4. वीरसिंह पिता श्री उंकारसिंह, जाति राजपूत, निवासी थांदला रोड़ कुशलगढ़, तहसील कुशलगढ़, जिला बांसवाड़ा (राज.)
5. धर्मेन्द्रसिंह पिता श्री रघुवीरसिंह, जाति राजपूत, निवासी थांदला रोड़ कुशलगढ़, तहसील कुशलगढ़, जिला बांसवाड़ा (राज.)
6. हर्षवर्धनसिंह पिता श्री रघुवीरसिंह, जाति राजपूत, निवासी थांदला रोड़ कुशलगढ़, तहसील कुशलगढ़, जिला बांसवाड़ा (राज.)
7. दिग्विजयसिंह पिता श्री पराक्रमसिंह, जाति राजपूत, निवासी थांदला रोड़ कुशलगढ़, तहसील कुशलगढ़, जिला बांसवाड़ा (राज.)
8. नर्वजीतसिंह पिता श्री पराक्रमसिंह, जाति राजपूत, निवासी थांदला रोड़ कुशलगढ़, तहसील कुशलगढ़, जिला बांसवाड़ा (राज.)
9. श्रीमती दीपिका पत्नी स्वर्गीय श्री जयदीपसिंह, जाति राजपूत, निवासी ग्राम रामगढ़, तहसील कुशलगढ़, जिला बांसवाड़ा (राज.)
10. प्रिया पुत्री स्वर्गीय श्री जयदीपसिंह, जाति राजपूत, निवासी ग्राम रामगढ़, तहसील कुशलगढ़, जिला बांसवाड़ा (राज.)
11. श्रीमती मधु कुंवर पत्नी श्री कुलदीपसिंह, जाति राजपूत, निवासी ग्राम रामगढ़, तहसील कुशलगढ़, जिला बांसवाड़ा (राज.)
12. तहसीलदार, कुशलगढ़, जिला बांसवाड़ा (राज.)

................रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा–225 राजस्थान
काश्तकारी अधिनियम– 1955 विरूद्ध
निर्णय उपखण्ड अधिका[illegible]गढ़
दिनांक 27.07.2022 प्रकरण [illegible]22

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:36:29 IST
Reason: SelfAttested

<u>उपस्थित(वक्तबहस)</u> 1— श्री यशपाल गुप्ता अभिभाषक अपीलान्टगण
2— श्री जयेन्द्र पुरोहित अभिभाषक रे. सं. 1 से 8

———::———

<u>निर्णय</u> <u>दिनांक 04—04—2024</u>

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल अपीलान्टगण द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 9 से 11 के संयुक्त स्वामित्व व आधिपत्य की आराजी नंबर 104 रकबा 1.6511 हैक्टर भूमि ग्राम रामगढ़, तहसील कुशलगढ़ में स्थित है, जिसमें अप्रार्थी संख्या 1 से 8 का किसी प्रकार का हक अधिकार नहीं होते हुए भी अनाधिकृत रूप से उक्त आराजी में प्रवेश करते हैं तथा मौके पर विवाद करते हैं। अतः अप्रार्थी संख्या 1 से 8 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे।

अधिनस्थ न्यायालय ने दिनांक 27—07—2022 को प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/प्रार्थीगण द्वारा इस न्यायालय में यह अपील दिनांक 16—09—2022 को प्रस्तुत की गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 8 की ओर से अधिवक्ता श्री जयेन्द्र पुरोहित उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 12 की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 9 से 11 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे, जबकि अपीलान्टगण की ओर से अधिवक्ता श्री यशपाल गुप्ता उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

दौराने बहस वकील अपीलान्ट द्वारा अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराया एवं बताया कि अधिनस्थ न्यायालय ने कानून व तथ्यों के विपरीत जाकर तथा राजस्व रेकार्ड एवं मौके की स्थिति का अवलोकन किये बिना ही यह कहते हुए प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया कि विवादित खसरा नंबर 104 रकबा 1.6511 के निकट आराजी नंबर 105 व 106 का सीमांकन किया जाना मानकर व खसरा नंबर 104 का [illegible]त विवाद होने से पूरा खसरा नंबर 104 पर स्थाई [illegible] प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज कर [illegible] सिद्धान्तों के

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:36:29 IST
Reason: SelfAttested

भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर (राज.)

विपरीत होने अपास्त योग्य है। अतः अपील स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे तथा रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 8 को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द जावे।

उक्त बहस का जवाब देते हुए रेस्पोन्डेन्ट के विद्वान अभिभाषक ने बताया कि अधिनस्थ न्यायालय ने उपलब्ध साक्षों के आधार पर निर्णय पारित किया है, जो विधि सम्मत है। अतः अपील सारहीन होने से खारिज की जावे।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। अधिनस्थ न्यायालय ने अस्थायी निषेधाज्ञा के तीनों बिन्दुओं पर बिना कोई विवेचन किये मात्र तहसीलदार कुशलगढ के कार्यालय आदेश के आधार पर निकटतम खसरा नंबर 105 व 106 का सीमांकन किये जाने से खसरा नंबर 104 का रोड़ संबंधी विवाद होने से पूरे खसरा नंबर पर अस्थायी निषेधाज्ञा दिया जाना उचित नहीं मानते हुए प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया है, जो न्याय के नैसर्गिक सिद्धान्तों के विपरीत होने से अपास्त योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 27–07–2022 अपास्त किया जाता है तथा मूलवाद के निस्तारण तक रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 8 को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि विवादित आराजी नंबर 104 में अपीलान्टगण के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करें तथा किसी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं करें। पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटायी जावे। निर्णय आज दिनांक 04–04–2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रदीप सिंह सांगावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:36:29 IST
Reason: SelfAttested